संख्या-82/2018/2731 ई-2/तेरह-2018-50/96

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 05 सितम्बर,2018

विषय:-मेसर्स गाजियाबाद आर्गेनिक्स, गाजियाबाद को एब्सोल्यूट अल्कोहल निर्माण एवं विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-53/दो-प्रा0डी0-69, दिनांक 02 अगस्त,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 02 अगस्त,2018 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स गाजियाबाद आर्गेनिक्स, गाजियाबाद को आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 150 लाख लीटर वार्षिक के अन्तर्गत आसवनी में रेक्टिफाइड स्प्रिट एवं एस0डी0एस0 के साथ-साथ 47.5 किली0 प्रतिदिन अर्थात् 142.5 लाख लीटर प्रतिवर्ष क्षमता का एथनाल प्लान्ट स्थापित किये जाने की अनुमति एतदद्वारा इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि स्थापित होने वाले एथनाल प्लान्ट में एथनाल उत्पादन से पूर्व आसवक को पेट्रोलियम एवं बिस्फोटक संगठन (पीसो) से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा आसवनी को पुन: संचालित करने से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानक के अनुसार **MEE** प्लान्ट लगाना आवश्यक होगा एवं राज्य/केन्द्र द्वारा स्थापित विधियों/मानकों व विधिव्यवस्थाओं के अन्तर्गत समस्त वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने के साथ-साथ समस्त सुसंगत अनापत्ति प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से प्राप्त कर आबकारी विभाग को प्रस्तुत किए जाएंगे।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/go/intra